

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

दिनांक: 11.04.2016

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/18
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00018
CICOM/R/2014/01180

अपीलकर्ता : श्री जी.एस.गुप्ता,
विज्ञान निवास,
80/39, पटेल मार्ग,
मानसरोवर, जयपुर - 302020.

निर्णय की तारीख : 11.04.2016

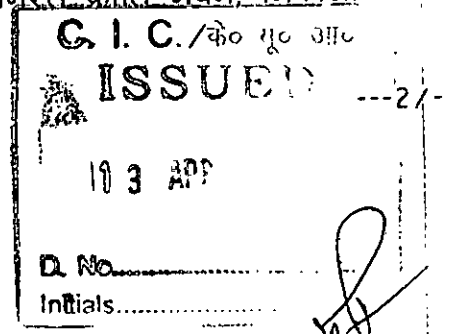
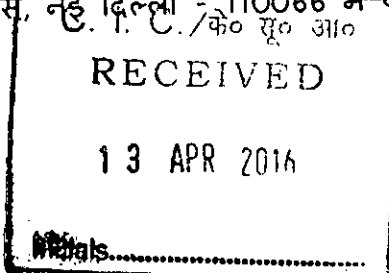
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.11.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	23.12.2015
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.12.2015, 25.01.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	186337/31.12.2015, 109406/29.01.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	1/01.01.2016, 49/01.02.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयकर विभाग द्वारा उन अधिकारियों की सूची उपलब्ध नहीं करवाने के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिनपर सी.बी.आई. के छापे पड़े तथा टी.वी. चैनलों तथा अखबारों में प्रकाशित भी हुए, जिसके प्रतिउत्तर में श्री योगेश कुमार सिंहल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना कि "सूचना अधिकार अधिनियम, 2005" "सूचना का अधिकार नियम, 2012" का अवलोकन करें, से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।



अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

✓
17/4/16